

फर्द अहकाम

पुणे सिव्हील बनाम VU भाग दोन कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपूर)

47/2018

प्रार्थना पत्र


आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>30/07/19 वकूलाप उर्फ अपाकी सं. 7, 8 की नामील शहर वार्ड के जर्ने रजिस्टर्ड सम्मने हे कावापी गयी जिनकी नामील रजिस्टर्ड की अवधाना की जाका इन्को वा-वा आवाज लागवापी गयी इन्की रजिस्टर्ड कोर्ट उपस्थित नही आया अतः अपाकी सं. 7, 8 के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही आरम्भ हे लागी जाके हे कावापी वास्ते पेच लेने जवाब प्रार्थना अपाकी सं. 1 दिनांक 21/2/19 को पेच हे तब तक पूर्ण आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपूर)</p>	
	<p>05/12/19 वकूलाप उर्फ जवाब प्रार्थना हेतु अन्तिम आदेश दिका जाका दिनांक 18/12/19 को पेच हे तब तक पूर्ण आदेश प्रभावी रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपूर)</p>	
	<p>18/12/19 वकूलाप उर्फ जवाब प्रार्थना पेच नही किया गया अतः जवाब प्रार्थना हेतु किया जाता है। वरुदा प्रार्थना (मुनीगामी) अतः इस न्यायालय का पूर्ण आदेश दिनांक 19-7-18 ता फैसला शहर वार्ड</p>	

फर्द अहकाम

श्रीगणेश vs बनाम श्रीगणेशदेव

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या विराटनगर (जयपुर) 47/2010 प्राचीन को

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>संज्ञित किया गया है। फावली फौजदारी भूमा होकर नया है कत के संलग्न प्रस्ताव रहे। पत्रावली के लिए शुभ होवे।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>

